(146)

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98

REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 1998/भाद्र 19, 1920

No. 362] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1998/BHADRA 19, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1998

सा.का.नि. 576(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1998 का पंजाब अधिनियम सं. 9) का निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रखते हुए चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :

उपान्तरण

1. धारा 1 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''पंजाब पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्

''(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।''।

2. धारा 2 में, ''पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 '' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. धारा 3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11015/1/98-यूटी एल(191)]

पी.के जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबन्ध

पंजाब पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997

(1998 का पंजाब अधिनियम सं. 9)

पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा ।

2. 1994 के पंजाब अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन : पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 12 की उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन आरक्षित जिले में ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद अनुसूचित जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।"

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1998

G.S.R. 576(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Panchayati Raj (Amendment) Act, 1997 (Punjab Act No. 9 of 1998), as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modification, namely :—

Modifications

1. In section 1,—

(i) in sub-section (1), for the words, brackets and figures "the Punjab Panchayati Raj (Amendment) Act, 1997", the words, brackets and figures "the Punjab Panchayati Raj (Amendment) Act, 1997, as extended to the Union Territory, Chandigarh," shall be substituted;

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It shall come into force at once.".

2. In section 2 , after the words and figures "the Punjab Panchayati Raj Act, 1994", the words "as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be inserted.

3. Section 3 shall be omitted.

[F. No. U. 11015/1/98-UTL (191)]

P.K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

THE PUNJAB PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 1997

(Punjab Act No. 9 of 1998)

An

ACT

further to amend the Punjab Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Forty-eight Year of the Republic of India, as follows :—

1. Short title and commencement.—

(1) This Act may be called the Punjab Panchayati Raj (Amendment) Act, 1997;

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of section 12 of Punjab Act 9 of 1994.— In the Punjab Panchayati Raj Act, 1994 in section 12, in sub-section (1), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that not less than one-third of the total number of offices of the Sarpanches of Gram Panchayats in the District reserved under sub-section (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes.".

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.